भाग–1

**न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, फागी जिला जयपुर**

| | | |
|---|---|---|
| पीठासीन अधिकारी | :: | **कीर्ति सिंहमार, आर.जे.एस.**<br>(जिला न्यायाधीश संवर्ग) |
| सेशन प्रकरण संख्या | :: | 12/2023(20/2021) |
| सी.आई.एस. संख्या | :: | 20/2021 |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या | :: | 434/2021, पुलिस–थाना फागी, जयपुर |
| अपराध अंतर्गत धारा | :: | धारा 452, 341, 323 या 323/34, 324 या 324/34, 308 सपठित धारा 34, 392, 427 भारतीय दण्ड संहिता,1860 |
| पुलिस थाना | :: | फागी, जयपुर |

| | |
|---|---|
| परिवादी | राजस्थान राज्य |
| प्रस्तुत द्वारा | राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक |
| अभियुक्त | (1) **रतिराम** पुत्र श्री जगदीश, जाति जाट, उम्र 29 साल, निवासी चौरू, पुलिस–थाना फागी, जिला जयपुर।<br>(2) **शंकर** पुत्र श्री रामधन, जाति जाट, उम्र 26 साल, निवासी चौरू, पुलिस–थाना फागी, जिला जयपुर। |
| अधिवक्ता | विद्वान अधिवक्ता श्री दौलतराम जाट, अभियुक्तगण की ओर से।<br>विद्वान अपर लोक अभियोजक, श्री शिवराज चौधरी राजस्थान राज्य की ओर से। |

ख

| | |
|---|---|
| घटना की दिनांक | 14.08.2021 |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक | 15.08.2021 |
| चालान की दिनांक | 20.10.2021 |
| आरोप विरचन की दिनांक | 04.05.2022 |
| साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक | 27.07.2022 |
| निर्णय सुरक्षित की दिनांक | 10.08.2026 |
| निर्णय दिनांक | 10.08.2026 |

ग

अभियुक्त की सूचना

| क्र. सं. | नाम | गिरफ्तारी की दिनांक | जमानत पर रिहाई की दिनांक | अपराध अंतर्गत धारा | दोषमुक्त/ दोषसिद्ध | अधिरोपित सजा | धारा 428 द. प्र.सं. समायोजन समयावधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रतिराम | 15.08.21 | 01.11.21 | 452, 341, 323 या 323/34, 324 या | 452, 324/34, 308/34, 392, 427 भादसं0 के आरोपों से | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 324/34, 308सपठित धारा 34, 392, 427 भारतीय दण्ड संहिता,1860 | **संदेह का लाभ दिया जाकर** तथा अपराध धारा 341, 323/34 भादंसं0 के आरोपों से बरूवे राजीनामा दोषमुक्त | | |
| 2 | शंकर | 16.08.21 | 21.12.21 | 452, 341, 323 या 323/34, 324 या 324/34, 308सपठित धारा 34, 392, 427 भारतीय दण्ड संहिता,1860 | 452, 324/34, 308/34, भादंसं0 के आरोपों से **संदेह का लाभ दिया जाकर** तथा अपराध धारा 341, 323/34 भादंसं0 के आरोपों से बरूवे राजीनामा दोषमुक्त | | |

भाग—2

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय गवाह सूची

कः अभियोजन गवाह

| क्र.सं. | नाम | साक्ष्य प्रकृति |
|---|---|---|
| 1 | पी.ड. 1 डॉ0 मुकेश कुमार नोगिया | विशेषज्ञ गवाह |
| 2 | पी.ड. 2 रामचंद्र | स्वतंत्र गवाह/नक्शा मौका घटनास्थल/ फर्द जब्ती मोटरसाइकिल/फर्द जब्ती आलामात/ फर्द निरीक्षण एवं सूरत—ए—हाल क्षतिग्रस्त वाहन टैम्पू का गवाह |
| 3 | पी.ड. 3 नंदलाल उर्फ नंदालाल | पीड़ित गवाह/ मजरूब/ चाक एफआईआर/फर्द जब्ती मोटरसाइकिल/आलामात/फर्द निरीक्षण टैम्पू व नक्शा मौका घटनास्थल गवाह |
| 4 | पी.ड. 4 अनुज जाखड | फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी अभियुक्त शंकर |
| 5 | पी.ड. 5 गोपाल बैरवा | स्वतंत्र गवाह |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | पी.ड. 6 सीताराम | स्वतंत्र गवाह |
| 7 | पी.ड. 7 रामलाल | स्वतंत्र गवाह |
| 8 | पी.ड. 8 राजेश कुमार | स्वतंत्र गवाह |
| 9 | पी.ड. 9 राधेश्याम सिंह | अनुसंधान अधिकारी |
| 10 | पी.ड. 10 तेजराम | फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी अभियुक्त रतिराम/फर्द इतला अभियुक्तगण व फर्द जब्ती कुल्हाड़ी व रूपये तथा बरामदगी नक्शा मौका गवाह |
| 11 | पी.ड. 11 नरेश | सैम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवाने का गवाह |
| 12 | पी.ड. 12 प्रभुदयाल | मालखाना इंचार्ज |

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज सूची
कः अभियोजन दस्तावेज सूची

| क्र. सं. | प्रदर्श | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | प्रदर्श–पी1 | चोट प्रतिवेदन मजरूब नन्दलाल |
| 2 | प्रदर्श–पी2 | एक्स–रे रिपोर्ट नन्दलाल |
| 3 | प्रदर्श–पी3 | एक्स–रे प्लेट |
| 4 | प्रदर्श–पी4 | बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी रामचन्द्र |
| 5 | प्रदर्श–पी5 | फर्द निरीक्षण घटनास्थल(नक्शा मौका) |
| 6 | प्रदर्श–पी6 | फर्द जब्ती मोटरसाइकिल नम्बर आरजे 47 एसएफ 5588 |
| 7 | प्रदर्श–पी7 | फर्द जब्ती टी–शर्ट एवं एक बनियान खून आलूदा |
| 8 | प्रदर्श–पी8 | फर्द निरीक्षण एवं सुरते हाल क्षतिग्रस्त वाहन टैम्पों नम्बर आरजे 14 जीई 6771 |
| 9 | प्रदर्श–पी9 | फर्द निरीक्षण एवं नक्शा मौका घटनास्थल |
| 10 | प्रदर्श–पी 10 | तहरीरी प्रथम सूचना रिपोर्ट |
| 11 | प्रदर्श–पी11 | प्रथम सूचना रिपोर्ट |
| 12 | प्रदर्श–पी12 | बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी नन्दलाल भार्गव |
| 13 | प्रदर्श–पी12 | फर्द गिरफतारी अभियुक्त शंकर |
| 14 | प्रदर्श–पी13 | बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी गोपाल |
| 15 | प्रदर्श–पी14 | बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी सीताराम |
| 16 | प्रदर्श–पी15 | बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी रामलाल |
| 17 | प्रदर्श–पी16 | बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी राजेश |
| 18 | प्रदर्श–पी17 | मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट टैम्पों नम्बर आरजे 14 जीई 6771 |
| 19 | प्रदर्श–पी18 | फर्द गिरफतारी अभियुक्त रतिराम |
| 20 | प्रदर्श–पी19 | फर्द इतला अभियुक्त रतिराम |
| 21 | प्रदर्श–पी20 | फर्द जब्ती एवं बरामदगी एक कुल्हाड़ी लोहा, जिसका बैंसा टूटा हुआ व 900/–रुपये नगद |
| 22 | प्रदर्श–पी21 | फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल एक कुल्हाडी व 900 रुपये नगद अभियुक्त रतिराम की इतला पर |
| 23 | प्रदर्श–पी22 | फर्द इतला अभियुक्त शंकर |
| 24 | प्रदर्श–पी23 | फर्द जब्ती एवं बरामदगी एक लाठी बांस व 600/–रुपये नगद |
| 25 | प्रदर्श–पी24 | फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल अभियुक्त शंकर की इतला पर |
| 26 | प्रदर्श–पी25 | विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा सैम्पल की रसीद |

| | | |
|---|---|---|
| 27 | प्रदर्श–पी26 | विधि विज्ञान प्रयोशाला की पैकेट प्राप्ति रसीद |
| 28 | प्रदर्श–पी27 व प्रदर्श पी 28 | मजरूब की कलर फोटो |
| 29 | प्रदर्श–पी29 | टैम्पों नम्बर आरजे 14 जीई 6771 की कलर फोटो |
| 30 | प्रदर्श–पी 30 व पी30ए | पुलिस–थाना फागी के मालखाना रजिस्टर व उसकी प्रमाणित प्रति |

:: **निर्णय** :: **दिनांक :10.08.2026**

1. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी **नन्दलाल भार्गव पुत्र रामलाल** ने दिनांक 14.08.2021 को पुलिस थाना फागी में एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श **पी–10** इस आशय की पेश की कि, ''दिनांक 14/08/2021 को वह अपने घर पर था। समय करीब 4.20 पीएम पर रतिराम पुत्र जगदीश जाट (कितावत) व शंकर लाल लोठया पुत्र रामधन जाट निवासी चौरु मोटर साईकिल से आये और उसके साथ गाली गलौच करने लगे कि डाकोत बाहर निकल तेरे को जान से मारेंगे अन्यथा अपनी रिपोर्ट उठाले जोर जोर से कहने लगे, तब वह बाहर आया तो रतिराम ने उसके उपर कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर दिया तथा शंकर लोठया ने भी कुल्हाड़ी से वार कर दिया जिससे उसके सिर में कान के नीचे दाहीनी तरफ गंभीर चोट लगी व उसका सिर फट गया। रतिराम व शंकर ने उसको जान से मारने की नियत से हमला किया। दिनांक 8 अगस्त को रतिराम ने उसके भाई राजेश की टैम्पो मिन्नी चौरु में सनराइज स्कूल के पास रोक कर गाड़ी के शीशे तोड दिया व 5000 हजार रुपये लूट लिये थे। रतिराम बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसकी शिकायत थाने करने की बात को लेकर उन्होने उसके उपर जान लेवा हमला किया है। रतिराम के विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज हुए है। इसने पहले भी लूट की घटना की है। शंकर लोठया के विरुद्ध भी हत्या व मारपीट के मुकदमे है। उसके सिर में 7 व 8 टांके आये है। इन लोगों से उसको खतरा है इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए''...........आदि।

2. इस तहरीरी रिपोर्ट पर मुकामी पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 434/2021, अंतर्गत धारा 341, 323, 427, 308, 392 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता,1860 में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्तगण **रतिराम व शंकर** के विरुद्ध दिनांक 20.10.2021 को अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 324, 427, 452, 308, 392 सपठित धारा 34** भारतीय दण्ड संहिता,1860 में आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फागी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 324, 427,**

**452, 308, 392 सपठित धारा 34** भारतीय दण्ड संहिता,1860 का प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया एवं दिनांक 20.10.2021 को बहस कमिटल सुनी जाकर यह प्रकरण सैशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण अपर सैशन न्यायाधीश, दूदू, जिला जयपुर को उपार्पित किया, जहां प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। कालांतर में इस न्यायालय का सृजन होने पर यह प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदय, जयपुर जिला, जयपुर के आदेश क्रमांक 367/स्था0, दिनांक 10.08.2023 की पालना में अंतरित होकर इस न्यायालय को दिनांक 23.08. 2023 को प्राप्त हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. **आरोप :-**

बहस आरोप सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख से प्रथम दृष्टया अभियुक्त **रतिराम** के विरूद्ध धारा 452, 341, 323 या 323/34, 324 या 324/34, 308 सपठित धारा 34, 392, 427 भारतीय दण्ड संहिता,1860 का अपराध बनना पाए जाने पर अभियुक्त **रतिराम** को **धारा 452, 341, 323 या 323/34, 324 या 324/34, 308 सपठित धारा 34, 392, 427 भारतीय दण्ड संहिता,1860** तथा अभियुक्त **शंकर** के विरूद्ध धारा **452, 341, 323 या 323/34, 324 या 324/34, 308 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता,1860** का अपराध बनना पाए जाने पर अभियुक्त शंकर के विरूद्ध धारा **452, 341, 323 या 323/34, 324 या 324/34, 308 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860** के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

दौराने अन्वीक्षा न्यायालय आदेशिका दिनांक **06.01.2025** के अनुसार आहत/परिवादी व अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा होने से बाद न्यायालय की अनुमति परिवादी मजरूब नन्दलाल की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पृथक से शमनीय अपराध अंतर्गत धारा **341, 323 सपठित धारा 34** भारतीय दण्ड संहिता,1860 के आरोपों की हद तक तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

4. **अभियोजन साक्ष्य :-**

प्रकरण में अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में **12** गवाह परीक्षित करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 30 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। प्रकरण में जब्तशुदा एक बांस की लाठी आर्टिकल 1, एक 500 रूपये का नोट आर्टिकल 2, एक

100 रूपये का नोट आर्टिकल 3, कुल्हाड़ी आर्टिकल 4,500 रूपये का नोट आर्टिकल 5, दो 200 रूपये के नोट आर्टिकल 6 व 7, टीशर्ट बरंग महरूम आर्टिकल 8, सफेद बनियान आर्टिकल 9 मार्क करवाए गए।

5. **अभियुक्तगण के कथनः–**

अभियोजन द्वारा साक्ष्य समाप्त किये जाने के पश्चात् अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता किया गया, जिसमें उक्त अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इंकार किया।

6. **बहसः–**

बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक के तर्क रहे हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किए जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी आहतगण एवं महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी गवाहान व अन्य महत्वपूर्ण गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी भी गवाह ने आरोपित अपराध के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं दी है। अभियोजन की ओर से प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के सम्बन्ध में बाद न्यायालय अनुमति राजीनामा तस्दीक किया जा चुका है। अंत में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होना बताते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

7. **विचारणीय बिन्दुः–**

उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। सम्बन्धित विधि का अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है कि :–

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 14.08.2021 को समय लगभग 04:20 पीएम पर ग्राम चौरू, पुलिस थाना फागी में पीड़ित नंदलाल के मकान पर जाकर उस पर हमला व उसे उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् उसके मकान में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया तथा अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरूब नंदलाल के साथ कुंद व घातक हथियारों से मारपीट कर उसे स्वैच्छया साधारण उपहति कारित की एवं ऐसी उपहति कारित की जिससे यदि आहत नंदलाल की मृत्यु कारित हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते?

2. क्या अभियुक्त रतिराम ने दिनांक 08.08.2021 को किसी समय सनराइज स्कूल के पास पुलिस थाना फागी में पीडित राजेश का सदोष अवरोध कर उसे तत्काल मृत्यु या उपहति के भय में डालकर लूट कारित की तथा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर मजरूब राजेश को क्षति कारित करने के आशय से उसके वाहन टेम्पो सं. आरजे 14 जीई–6771 में तोड़–फोड़ कर रिष्टि कारित की?

3. यदि हां तो दण्ड की मात्रा क्या होगी ?

8. हस्तगत प्रकरण में उक्त अवधार्य दोनों बिंदुओं के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन साक्ष्य व तथ्यों की अनावश्यक पुनरावृत्ति रोकने के लिए समग्र रूप से एक साथ किया जा रहा है। प्रकरण में परिवादी नन्दलाल द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 के आधार पर यह प्रकरण दर्ज किया गया है।

9. उक्त लिखित रिपोर्ट में परिवादी नन्दलाल ने अभियुक्तगण को नामजद करते हुए दो घटनाओं का वर्णन किया है। परिवादी ने दिनांक 14/08/2021 को लगभग 4:20 बजे अभियुक्तगण रतिराम एवं शंकर लाल द्वारा कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार करने व पूर्व में दिनांक 08/08/2021 को रतिराम द्वारा उसके भाई राजेश की टैम्पा रोककर गाड़ी के शीशे तोड़ने और 5000 रुपये लूट लेने का आक्षेप लगाया है। किंतु अपने सशपथ बयानों में परिवादी/गवाह **पी.ड. 03 नन्दलाल उर्फ नंदालाल** ने अपने द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 में अंकित उक्त तथ्यों का समर्थन नहीं किया है एवं कथन किया है कि उसकी लडाई किसके साथ हुई और उसके भाई के टैम्पू का शीशा किसने तोड़ा वह उनके नाम नहीं जानता है। उक्त गवाह द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया व अपर लोक अभियोजक द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–12 में अभियुक्तगण के विरूद्ध लिखवाए गए कथनों से इनकार किया है तथा अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किए गए **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने स्वीकार किया है कि उसे नहीं पता कि उसके साथ किस–किस व्यक्ति ने मारपीट की। यह भी

स्वीकार किया है कि वह अभियुक्तगण को नहीं जानता है।

10. इसी प्रकार प्रकरण के अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी गवाह एवं आहत **पी.डब्ल्यू 8 राजेश कुमार,** जो परिवादी नन्दलाल का भाई है, ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके भाई नन्दलाल के साथ किसने मारपीट की उसे पता नहीं है। उक्त गवाह द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया व अपर लोक अभियोजक द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–16 में अभियुक्तगण के विरूद्ध लिखवाए गए कथनों से इनकार किया है तथा अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किए गए **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने स्वीकार किया है कि उक्त अभियुक्तगण ने उसके भाई के साथ मारपीट नहीं की। पुलिस ने उसके खाली कागजों पर साइन करवाए थे। यह भी कथन किया है कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया है इसलिये वह इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता। उक्त गवाह ने अभियुक्त रतिराम द्वारा उसके टैम्पो में तोड़फोड़ करने एवं उससे रूपयों की लूट करने का कोई कथन नहीं किया है।

11. अन्य स्वतंत्र गवाह **पी0ड0 2 रामचंद्र, पी0ड0 5 गोपाल बैरवा, पी0ड0 6 सीताराम, पी0ड0 7 रामलाल** ने मुख्य परीक्षण में नन्दलाल की लडाई हुई किससे हुई इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है। उक्त समस्त गवाहान द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर उक्त गवाहान को पक्षद्रोही घोषित किया गया व अपर लोक अभियोजक द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में गवाह **पी0ड0 2 रामचंद्र, पी0ड0 5 गोपाल बैरवा, पी0ड0 6 सीताराम, पी0ड0 7 रामलाल** ने अपने–अपने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श **पी–04, प्रदर्श पी 13, प्रदर्श पी 14 व प्रदर्श पी 15** में अभियुक्तगण के विरूद्ध लिखवाए गए कथनों से इनकार किया है।

12. गवाह **पी0ड0 4 अनुज जाखड फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 12 अभियुक्त शंकर चौधरी बनाए** जाने का औपचारिक साक्षी है।

13. चिकित्सीय साक्षी **पी.ड. 1 डॉ0 मुकेश कुमार नोगिया** ने आह्त नन्दलाल की चोटों का मुआयना कर आह्त के कारित साधारण व गंभीर चोटों को प्रमाणित करते हुये आह्त के चोट प्रतिवेदन व एक्स–रे रिपोर्ट को प्रमाणित किया है।

14. प्रकरण में परीक्षित परिवादी/आहतगण सहित उक्त समस्त महत्वपूर्ण गवाह पक्षद्रोही हुए है तथा ऐसा कोई गवाह परीक्षित नहीं हुआ है, जो अभियोजन कहानी के

अनुसार यह तथ्य प्रमाणित करता हो कि अभियुक्तगण परिवादी के साथ मारपीट करने की पूर्व तैयारी के साथ उसके घर में घुसे हो व आहत का सदोष अवरोध कर आह्त के गंभीर व साधारण प्रकृति की चोटें कुन्द हथियार व घातक हथियार से कारित की गयी हो। स्वयं आह्तगण इस संबंध में कोई कथन नहीं करते है कि उनके उक्त चोटें किस प्रकार से व किस व्यक्ति ने कारित की अथवा उनके चोटें कैसे कारित हुई। ऐसे में प्रकरण में परीक्षित उक्त चिकित्सीय गवाह पी.ड. 01 डॉ0 मुकेश कुमार नोगिया की साक्ष्य मात्र औपचारिक प्रकृति की है।

15. प्रकरण में अभियुक्तगण की इतलानुसार उसकी निशादेही से घटना में प्रयुक्त हथियार बांस की लाठी, कुल्हाडी व रूपये बरामद किया जाना बताया गया है। इस संबंध में **पी0ड0 09 राधेश्याम सिंह अनुसंधान अधिकारी** ने अपने सशपथ बयानों में प्रकरण में अनुसंधान किये जाने के संबंध में कथन करते हुए प्रकरण में अभियुक्तगण को जरिए फर्द रूबरू गवाहान गिरफ्तार किए जाने एवं गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में प्रयुक्त हथियारों व लूट के रूपयें बरामद कराने की इतला दिए जाने पर अभियुक्तगण की इतला के आधार पर एक बांस की लाठी व रूपये 600 अभियुक्त शंकर से जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 23, एक कुल्हाडी लोहा व रूपये 900 अभियुक्त रतिराम से जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 20 बरामद करने का कथन किया है तथा उक्त बरामदगी स्थल के नक्शा व हालात मौका रूबरू गवाहान कसीद करने का कथन किया है। उक्त गवाह के कथनों की पुष्टि वक्त बरामदगी साथ रहे गवाह **पी0ड0 10 तेजराम** ने अपने सशपथ बयानों में की है।

16. इस प्रकार बरादमगीकर्ता/अनुसंधान अधिकारी गवाह **पी0ड0 09 राधेश्याम सिंह** एवं बरामदगी गवाह **पी0ड0 10 तेजराम** की साक्ष्य से अभियुक्तगण की इतलानुसार बांस की लाठी, कुल्हाडी व रूपये बरामद होने का तथ्य प्रमाणित होता हैं, किन्तु उक्त बरामदशुदा बांस की लाठी, कुल्हाडी से ही आह्त नन्दलाल के चोटें कारित हुई हो और बरामद रूपये परिवादी पक्ष के ही हो, इस सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई है। तथा प्रकरण के आह्तगण गवाहन **पी.ड. 3 नंदलाल उर्फ नंदालाल व पी.डब्ल्यू 8 राजेश कुमार** सहित स्वतंत्र गवाह **पी0ड0 2 रामचंद्र, पी0ड0 5 गोपाल बैरवा, पी0ड0 6 सीताराम, पी0ड0 7 रामलाल** ने अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किए हैं। ऐसे में अभियुक्तगण से की गई उक्त बांस की लाठी, कुल्हाडी व रूपयों की बरामदगी मात्र से आरोपित अपराध में अभियुक्तगण की संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती है।

17. प्रकरण के अन्य गवाह **पी0ड0 11 नरेश** विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जब्तशुदा माल मालखाना इंचार्ज से शिल्डशुदा पैकिट प्राप्त कर जमा करवाकर रसीद प्रदर्श पी 25 मालखाना प्रभारी को सुपुर्द करने का कथन करता है। **पी0ड0 12 प्रभुदयाल** मालखाना प्रभारी है, जिसने प्रकरण में जब्तशुदा माल को बतौर वजह सबूत कुल सात आर्टिकल जमा कर मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 30 में दर्ज करने का कथन किया है, जो दोनों गवाह औपचारिक गवाह है।

18. इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के उपर्युक्त समग्र विवेचन अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त **रतिराम** पुत्र श्री जगदीश, निवासी चौरू, पुलिस—थाना फागी, जिला जयपुर आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 452, 324 या 324/34, 308 सपठित धारा 34, 392, 427 भारतीय दण्ड संहिता,1860 तथा अभियुक्त शंकर** पुत्र श्री रामधन, निवासी चौरू, पुलिस—थाना फागी, जिला जयपुर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **452, 324 या 324/34, 308 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता,1860** के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर तथा अपराध अंतर्गत धारा **341, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता,1860** के आरोपों से बरूवे राजीनामा दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

## आदेश

19. परिणामतः अभियुक्त **रतिराम** पुत्र श्री जगदीश, निवासी चौरू, पुलिस—थाना फागी, जिला जयपुर आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 452, 324 या 324/34, 308 सपठित धारा 34, 392, 427 भारतीय दण्ड संहिता,1860 तथा अभियुक्त शंकर** पुत्र श्री रामधन, निवासी चौरू, पुलिस—थाना फागी, जिला जयपुर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **452, 324 या 324/34, 308 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता,1860** के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर तथा अपराध अंतर्गत धारा **341, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता,1860** के आरोपों से बरूवे राजीनामा **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

20. अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437 (ए) दं.प्र.सं. के अंतर्गत 20,000/—रुपये की एक जमानत व 20,000/—रुपये की राशि का स्वयं का मुचलका इस आशय का पेश कर तस्दीक करावें कि यदि 6 माह में इस निर्णय के

विरुद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में यदि कोई अपील/निगरानी प्रस्तुत होती है तो वह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में उपस्थित हो जाएंगें।

21. हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा एक बांस की लाठी, लोहे की एक कुल्हाड़ी व जब्तशुदा मजरूब के आलामात टी–शर्ट एवं एक बनियान खून आलूदा बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नष्ट की जावें तथा जब्तशुदा रूपये 600/–रुपये(एक नोट 500 व एक नोट 100 का) तथा 900/–रुपये(एक नोट 500 व दो नोट 200–200) बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार राजकोष में जमा किए जावें।

22. प्रकरण में जब्तशुदा मोटरसाइकिल सुपुर्दगी पर है, जो सुपुर्दगीदार के पास रहे व सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझे जावें।

23. राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के प्रावधानों पर विचार किया गया। हस्तगत प्रकरण में परिवादी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहान न्यायालय के समक्ष आकर पक्षद्रोही घोषित हुए हैं एवं उन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंसा किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

(कीर्ति सिंहमार)
अपर सेशन न्यायाधीश,
फागी, जिला–जयपुर

24. यह निर्णय आज दिनांक **10.08.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कीर्ति सिंहमार)
अपर सेशन न्यायाधीश,
फागी, जिला–जयपुर